बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्र सं० –NHM/BHDS/352/2024 -विo/उo निo-30- /कृ०, पटना, दिनांक 16/05/ ,2025
प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।

सेवा में,

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा : **वित्त विभाग।**

विषय : **राज्य स्कीम मद से वित्तीय वर्ष 2025–26 में हल्दी, अदरख एवं ओल का क्षेत्र विस्तार योजना का कार्यान्वयन कुल 934.80 लाख (नौ करोड़ चौंतीस लाख अस्सी हजार) रूपये मात्र की लागत पर राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

राज्य स्कीम मद से वित्तीय वर्ष 2025–26 में हल्दी, अदरख एवं ओल का क्षेत्र विस्तार योजना का कार्यान्वयन कुल 934.80 लाख (नौ करोड़ चौंतीस लाख अस्सी हजार) रूपये मात्र की लागत पर राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. यह नई योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य अन्तर्गत हल्दी, अदरख एवं ओल का क्षेत्र विस्तार कर गुणवत्तायुक्त उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाकर कृषकों के आय में वृद्धि करना है।

3. हल्दी, अदरख एवं ओल के रोपण का उपयुक्त समय माह मई–जून है। इस योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य के सभी 38 जिलों में किया जायेगा। योजना का घटकवार, भौतिक आकार एवं कार्य योजना अनुसूची–1 के रूप में संलग्न है।

4. यह अनुदान की योजना है, इसमें संभावित मानव दिवस सृजन की संख्या शून्य है।

5. प्रिन्सिपल इन्वेस्टिगेटर, केन्द्र प्रायोजित योजना (मसाला विकास), डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर के द्वारा हल्दी (सभी प्रभेद) के बीज का मूल्य 45.00 रूपये प्रतिवेदित है तथा उद्यान निदेशालय, झारखण्ड, राँची के कार्यालय आदेश संख्या–14 दिनांक-- 17.03.2025 द्वारा निविदा के आधार पर ओल बीज का मूल्य 88.00 रूपये तथा अदरख बीज का मूल्य 78.00 प्रति किलोग्राम के आधार पर योजना की स्वीकृति दी गयी है।

6. बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर द्वारा प्रकाशित बिहार किसान डायरी में ओल, हल्दी एवं अदरख का बीज दर क्रमशः 80–100 क्वि0, 20–25 क्वि0 एवं 18–20 क्वि0 प्रति हेक्टेयर निर्धारित है। इस प्रकार ओल के लिए प्रति एकड़ 32 क्वि0, हल्दी के लिए 10 क्वि0 एवं अदरख के लिए 08 क्वि0 बीज दर अनुशंसित है।

7. योजना अन्तर्गत घटकवार विस्तृत विवरणी निम्नवत् है :–

(क) **हल्दी का क्षेत्र विस्तार** :– इस घटक अन्तर्गत कृषकों को हल्दी की खेती हेतु प्रति एकड़ कुल इकाई लागत 45,000.00 (पैंतालीस हजार) रूपये का अधिकतम 50 प्रतिशत यानि 22,500.00 (बाईस हजार पाँच सौ) रूपये अनुदान दिया जायेगा। इस घटक अन्तर्गत कृषकों को न्यूनतम 0.25 एकड़ एवं अधिकतम 2.00 एकड़ तक का लाभ दिया जायेगा।

D:\YOGNA 2025-26\MIrnal Sastri Sir (Gaurav)\Haldi, Adrakh, Oal Scheme 2025-26 (934.80).doc

(ख) **अदरख का क्षेत्र विस्तार** :– इस घटक अन्तर्गत कृषकों को अदरख की खेती हेतु प्रति एकड़ कुल इकाई लागत 62,400.00 (बासठ हजार चार सौ) रूपये का अधिकतम 50 प्रतिशत यानि 31,200.00 (एकतीस हजार दो सौ) रूपये अनुदान दिया जायेगा। इस घटक अन्तर्गत कृषकों को न्यूनतम 0.25 एकड़ एवं अधिकतम 2.00 एकड़ तक का लाभ दिया जायेगा।

(ग) **ओल का क्षेत्र विस्तार** :– इस घटक अन्तर्गत कृषकों को ओल की खेती हेतु प्रति एकड़ कुल इकाई लागत 2,81,600.00 (दो लाख एकासी हजार छः सौ) रूपये का अधिकतम 50 प्रतिशत यानि 1,40,800.00 (एक लाख चालीस हजार आठ सौ) रूपये अनुदान दिया जायेगा। इस घटक अन्तर्गत कृषकों को न्यूनतम 0.25 एकड़ एवं अधिकतम 1.00 एकड़ तक का लाभ दिया जायेगा।

8. उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना के द्वारा ई–निविदा के माध्यम से दर/आपूर्तिकर्ता का चयन कर योजनान्तर्गत हल्दी, अ़दरख एवं ओल का सत्यापित बीज (Truthfully Labelled Seed) संबंधित जिला के सहायक निदेशक उद्यान के माध्यम से लाभार्थी को उपलब्ध कराया जायेगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में ई–निविदा के माध्यम से निर्धारित होने वाले न्यूनतम दर (L1) तथा योजनान्तर्गत बीज की निर्धारित दर में से जो कम होगा, उसका 50 प्रतिशत अनुदान DBT in Kind/DBT in Cash के रूप में दिया जायेगा।

9. इस योजना का लाभ लेने हेतु किसानों का DBT पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक है। योजनान्तर्गत कृषकों का चयन "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर किया जायेगा। गैर–रैयत कृषक द्वारा भी संलग्न अनुसूची–4 के विहित् प्रपत्र में वांछित सूचना उपलब्ध कराते हुए योजनान्तर्गत लाभ लिया जा सकता है।

10. योजना का कार्यान्वयन संबंधित जिला के सहायक निदेशक उद्यान द्वारा किया जायेगा। उद्यान निदेशालय द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा। योजनान्तर्गत फसलवार एवं जिलावार विवरणी अनुसूची–2 के रूप में संलग्न है।

11. योजनान्तर्गत प्रखंड उद्यान पदाधिकारी द्वारा शत्–प्रतिशत, सहायक निदेशक उद्यान द्वारा 10 प्रतिशत तथा संबंधित उप निदेशक उद्यान द्वारा 01 प्रतिशत जियो टैग्ड भौतिक सत्यापन किया जायेगा।

12. योजनान्तर्गत 78.537 : 20 : 1.463 के अनुपात में कोटिवार लाभुकों को चयन किया जायेगा। सभी कोटि में 30 प्रतिशत महिला कृषकों को प्राथमिकता दिया जायेगा।

13. योजना हेतु 33–01 सब्सिडी विषय शीर्ष से स्वीकृत है, परन्तु इस शीर्ष में बजट उपबंध उपलब्ध नही है। उद्यान निदेशालय के लिए राज्य योजना मद में 31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन विषय शीर्ष में बजट उपबंध उपबंधित है, परन्तु इस विषय शीर्ष में वित्त विभागीय परामर्श अनुसार विभागीय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को राशि स्वीकृति/आवंटित करना नियमानुकूल नही होने के कारण निदेशक उद्यान द्वारा सहायक अनुदान वेतन मद में उपबंधित राशि को 33–01 सब्सिडी, 28–02 संविदा सेवाएँ मद एवं 13–01 कार्यालय व्यय मद में उपबंधित करने हेतु बजट पदाधिकारी–सह–उप सचिव, कृषि विभाग, बिहार से अनुरोध किया गया है। 33–01 सब्सिडी मद में वित्त विभाग द्वारा राशि उपबंधित होने के पश्चात् ही इस योजना हेतु स्वीकृत राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय किया जा सकेगा।

14. योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/कार्यान्वयन एजेन्सी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा बिहार योजना के कार्यान्वयन में बिहार वित्तीय नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

15. वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि की निकासी अनुसूची–3 के अनुसार संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित कोषागार से BTC Form - 42 पर CFMS के माध्यम से निकासी की जायेगी।

16. महालेखाकार (ले० एवं ह०) को अंकेक्षण का अधिकार होगा।

17. योजना कार्यान्वयन के क्रम में यथावश्यक संशोधन प्रशासी विभाग द्वारा वित्तीय सीमा के अधीन किया जायेगा।

18. वित्तीय वर्ष 2025–26 में बजट उपबंध का विवरण निम्न प्रकार है :–

(राशि लाख रू० में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष 2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 119–बागवानी तथा वनस्पति फसलें, माँग संख्या–01, उप शीर्ष 0101– उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01–2401001190101,विषय शीर्ष 0101–33–01 सब्सिडी।	19084.49100	734.16388
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष – 00, लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या–01, उप शीर्ष – 0130 उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01–2401007890130, विषय शीर्ष 0130–33–01 सब्सिडी।	4860.00000	186.96000
मुख्य शीर्ष 2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष– 00, लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या–01, उपशीर्ष 0152 – उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01–2401007960152, विषय शीर्ष 0152–33–01 सब्सिडी।	355.50900	13.67612
कुल	**24300.00000**	**934.80000**

उद्यान निदेशालय के पत्रांक–431 दिनांक–18.04.2025 के द्वारा विषयशीर्ष 31–06 सहायक अनुदान गैर वेतन में उपलब्ध उपबंधित राशि को विषयशीर्षवार 33–01 सब्सिडी, 28–02 संविदा सेवाएँ मद एवं 13–01 कार्यालय व्यय मद में उपलब्ध कराने हेतु उप सचिव–सह–बजट पदाधिकारी, कृषि विभाग से अनुरोध किया गया है। उक्त अनुरोध के आलोक में विषयशीर्षवार राशि का उपबंध अनुपूरक आगणन के माध्यम से प्राप्ति होने के पश्चात् ही राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय किया जा सकेगा।

19. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888 दिनांक–03.12.2024 तथा पत्रांक–201 दिनांक–13.03.2025 में निहित प्रावधान के आलोक में दिनांक 07.05.2025 को सचिव, कृषि की अध्यक्षता में आयोजित विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में अनुशंसा प्राप्त है। योजना प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर माननीय मंत्री, कृषि का अनुमोदन संचिका संख्या NHM/BHDS/352/2024 के पृ0सं0–43/टि0 पर दिनांक–15.05.2025 को प्राप्त है।

20. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

21. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–NHM/BHDS/352/2024 के पृष्ठ संख्या–45/टि० पर दिनांक–16.05.2025 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या–317 दिनांक–16.05.2025 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

16/5

(कल्पना कुमारी)
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : NHM/BHDS/352/2024-[illegible] 30 - /कृ०, पटना, दिनांक 16/05/ ,2025

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/5

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : NHM/BHDS/352/2024-पी०पी०एम०-30-/कृ०, पटना, दिनांक 16/05/ ,2025

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : NHM/BHDS/352/2024-पी०पी०एम०-30-/कृ०, पटना, दिनांक 16/05/ ,2025

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : NHM/BHDS/352/2024-पी०पी०एम०-30-/कृ०, पटना, दिनांक: 16/05/ ,2025

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना एवं सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : NHM/BHDS/352/2024-पी०पी०एम० 30-/कृ०, पटना, दिनांक: 16/05/ ,2025

प्रतिलिपि : माननीय कृषि मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, कृषि के आप्त सचिव, बिहार, पटना/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना /निदेशक, बामेति, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक उद्यान/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक उद्यान/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं कृषि निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : NHM/BHDS/352/2024-पी०पी०एम०-30-/कृ०, पटना, दिनांक: 16/05/ ,2025

प्रतिलिपि : उप निदेशक (शष्य), सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित पदाधिकारियों तथा कोषागार पदाधिकारी को ई–मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

अनुसूची–1

वित्तीय वर्ष 2025–26 में हल्दी, अदरख एवं ओल का क्षेत्र विस्तार योजना

(भौतिक लक्ष्य एकड़ में एवं वित्तीय लक्ष्य लाख रू० में)

क्र० सं०	अवयव	अनुमानित बीज का मूल्य/किलोग्राम (रूपये में)	बीज की आवश्यकता /एकड़ (क्विंटल में)	इकाई लागत प्रति एकड़ (रूपये में)	इकाई लागत का 50 प्रतिशत अनुदान की राशि/एकड़ (रूपये में)	कुल भौतिक लक्ष्य	कुल वित्तीय लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हल्दी	45.00	10.00	45000.00	22500.00	2000	450.00
2	अदरख	78.00	8.00	62400.00	31200.00	200	62.40
3	ओल	88.00	32.00	281600.00	140800.00	300	422.40
कुल योग						2500	934.80

(नौ करोड़ चौंतीस लाख अस्सी हजार रूपये मात्र)

पवन कुमार

(अभिषेक कुमार)
निदेशक उद्यान, बिहार।

अनुसूची–2

वित्तीय वर्ष 2025–26 में हल्दी, अदरख एवं ओल का क्षेत्र विस्तार योजनान्तर्गत जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(भौतिक लक्ष्य एकड़ में एवं वित्तीय लक्ष्य लाख रू० में)

क्र० सं०	जिला	हल्दी		अदरख		ओल		कुल भौतिक लक्ष्य	कुल वित्तीय लक्ष्य
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अररिया	25	5.62500	5	1.56000	5	7.04000	35	14.22500
2	अरवल	15	3.37500	0	0.00000	0	0.00000	15	3.37500
3	औरंगाबाद	20	4.50000	0	0.00000	10	14.08000	30	18.58000
4	बाँका	20	4.50000	0	0.00000	0	0.00000	20	4.50000
5	बेगूसराय	125	28.12500	10	3.12000	10	14.08000	145	45.32500
6	भागलपुर	100	22.50000	5	1.56000	10	14.08000	115	38.14000
7	भोजपुर	40	9.00000	0	0.00000	10	14.08000	50	23.08000
8	बक्सर	20	4.50000	0	0.00000	10	14.08000	30	18.58000
9	दरभंगा	35	7.87500	10	3.12000	10	14.08000	55	25.07500
10	पूर्वी चम्पारण	125	28.12500	15	4.68000	10	14.08000	150	46.88500
11	गया	5	1.12500	0	0.00000	0	0.00000	5	1.12500
12	गोपालगंज	80	18.00000	10	3.12000	10	14.08000	100	35.20000
13	जमुई	5	1.12500	0	0.00000	0	0.00000	5	1.12500
14	जहानाबाद	20	4.50000	0	0.00000	10	14.08000	30	18.58000
15	कैमूर	15	3.37500	0	0.00000	5	7.04000	20	10.41500
16	कटिहार	70	15.75000	5	1.56000	10	14.08000	85	31.39000
17	खगड़िया	60	13.50000	5	1.56000	10	14.08000	75	29.14000
18	किशनगंज	15	3.37500	0	0.00000	0	0.00000	15	3.37500
19	लखीसराय	20	4.50000	0	0.00000	5	7.04000	25	11.54000
20	मधेपुरा	50	11.25000	5	1.56000	10	14.08000	65	26.89000
21	मधुबनी	40	9.00000	5	1.56000	10	14.08000	55	24.64000
22	मुंगेर	15	3.37500	0	0.00000	10	14.08000	25	17.45500
23	मुजफ्फरपुर	75	16.87500	20	6.24000	10	14.08000	105	37.19500
24	नालन्दा	20	4.50000	0	0.00000	10	14.08000	30	18.58000
25	नवादा	5	1.12500	0	0.00000	0	0.00000	5	1.12500
26	पटना	20	4.50000	0	0.00000	10	14.08000	30	18.58000
27	पूर्णिया	100	22.50000	10	3.12000	10	14.08000	120	39.70000
28	रोहतास	25	5.62500	0	0.00000	10	14.08000	35	19.70500
29	सहरसा	60	13.50000	10	3.12000	10	14.08000	80	30.70000
30	समस्तीपुर	130	29.25000	20	6.24000	15	21.12000	165	56.61000
31	सारण	130	29.25000	10	3.12000	10	14.08000	150	46.45000
32	शेखपुरा	5	1.12500	0	0.00000	5	7.04000	10	8.16500
33	शिवहर	25	5.62500	5	1.56000	5	7.04000	35	14.22500
34	सीतामढ़ी	40	9.00000	10	3.12000	10	14.08000	60	26.20000
35	सिवान	125	28.12500	10	3.12000	10	14.08000	145	45.32500
36	सुपौल	40	9.00000	10	3.12000	10	14.08000	60	26.20000
37	वैशाली	130	29.25000	10	3.12000	10	14.08000	150	46.45000
38	पश्चिमी चम्पारण	150	33.75000	10	3.12000	10	14.08000	170	50.95000
	कुल योग	**2000**	**450.00000**	**200**	**62.40000**	**300**	**422.40000**	**2500**	**934.80000**

(मो० नौ करोड़ चौंतीस लाख अस्सी हजार रूपये)

पवन कुमार

(अभिषेक कुमार)
निदेशक उद्यान, बिहार।

अनुसूची – 3

वित्तीय वर्ष 2025–26 में हल्दी, अदरख एवं ओल का क्षेत्र विस्तार योजना के तहत् जिलावार तथा श्रेणीवार वित्तीय लक्ष्य का निर्धारण (राशि लाख रू० में)

क्र० सं०	जिला / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	सामान्य जाति (78.537%)	अनुसूचित जाति (20.00%)	अनुसूचित जनजाति (1.463%)	कुल वित्तीय लक्ष्य
1	सहायक निदेशक उद्यान, अररिया	11.17189	2.84500	0.20811	14.22500
2	सहायक निदेशक उद्यान, अरवल	2.65062	0.67500	0.04938	3.37500
3	सहायक निदेशक उद्यान, औरंगाबाद	14.59218	3.71600	0.27182	18.58000
4	सहायक निदेशक उद्यान, बाँका	3.53417	0.90000	0.06583	4.50000
5	सहायक निदेशक उद्यान, बेगूसराय	35.59690	9.06500	0.66310	45.32500
6	सहायक निदेशक उद्यान, भागलपुर	29.95401	7.62800	0.55799	38.14000
7	सहायक निदेशक उद्यान, भोजपुर	18.12634	4.61600	0.33766	23.08000
8	सहायक निदेशक उद्यान, बक्सर	14.59217	3.71600	0.27183	18.58000
9	सहायक निदेशक उद्यान, दरभंगा	19.69315	5.01500	0.36685	25.07500
10	सहायक निदेशक उद्यान, पूर्वी चम्पारण	36.82207	9.37700	0.68593	46.88500
11	सहायक निदेशक उद्यान, गया	0.88354	0.22500	0.01646	1.12500
12	सहायक निदेशक उद्यान, गोपालगंज	27.64502	7.04000	0.51498	35.20000
13	सहायक निदेशक उद्यान, जमुई	0.88354	0.22500	0.01646	1.12500
14	सहायक निदेशक उद्यान, जहानाबाद	14.59218	3.71600	0.27182	18.58000
15	सहायक निदेशक उद्यान, कैमूर	8.17963	2.08300	0.15237	10.41500
16	सहायक निदेशक उद्यान, कटिहार	24.65276	6.27800	0.45924	31.39000
17	सहायक निदेशक उद्यान, खगड़िया	22.88568	5.82800	0.42632	29.14000
18	सहायक निदेशक उद्यान, किशनगंज	2.65062	0.67500	0.04938	3.37500
19	सहायक निदेशक उद्यान, लखीसराय	9.06317	2.30800	0.16883	11.54000
20	सहायक निदेशक उद्यान, मधेपुरा	21.11860	5.37800	0.39340	26.89000
21	सहायक निदेशक उद्यान, मधुबनी	19.35152	4.92800	0.36048	24.64000
22	सहायक निदेशक उद्यान, मुंगेर	13.70863	3.49100	0.25537	17.45500
23	सहायक निदेशक उद्यान, मुजफ्फरपुर	29.21184	7.43900	0.54416	37.19500
24	सहायक निदेशक उद्यान, नालन्दा	14.59217	3.71600	0.27183	18.58000
25	सहायक निदेशक उद्यान, नवादा	0.88354	0.22500	0.01646	1.12500
26	सहायक निदेशक उद्यान, पटना	14.59217	3.71600	0.27183	18.58000
27	सहायक निदेशक उद्यान, पूर्णियाँ	31.17919	7.94000	0.58081	39.70000
28	सहायक निदेशक उद्यान, रोहतास	15.47572	3.94100	0.28828	19.70500
29	सहायक निदेशक उद्यान, सहरसा	24.11086	6.14000	0.44914	30.70000
30	सहायक निदेशक उद्यान, समस्तीपुर	44.45980	11.32200	0.82820	56.61000
31	सहायक निदेशक उद्यान, सारण	36.48044	9.29000	0.67956	46.45000
32	सहायक निदेशक उद्यान, शेखपुरा	6.41255	1.63300	0.11945	8.16500
33	सहायक निदेशक उद्यान, शिवहर	11.17189	2.84500	0.20811	14.22500
34	सहायक निदेशक उद्यान, सीतामढ़ी	20.57669	5.24000	0.38331	26.20000
35	सहायक निदेशक उद्यान, सिवान	35.59690	9.06500	0.66310	45.32500
36	सहायक निदेशक उद्यान, सुपौल	20.57669	5.24000	0.38331	26.20000
37	सहायक निदेशक उद्यान, वैशाली	36.48044	9.29000	0.67956	46.45000
38	सहायक निदेशक उद्यान, पश्चिमी चम्पारण	40.01460	10.19000	0.74540	50.95000
कुल योग		**734.16388**	**186.96000**	**13.67612**	**934.80000**

(मो० नौ करोड़ चौंतीस लाख अस्सी हजार रूपये)

पवन कुमार

(अभिषेक कुमार)
निदेशक उद्यान, बिहार।

<u>अनुसूची–4</u>

कृषि विभाग

उद्यान निदेशालय

हल्दी/अदरख/ओल का क्षेत्र विस्तार योजना का लाभ लेने हेतु एकरारनागा (गैर–रैयत कृषक)

(विहित प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि

1. मै...पिता/पति...
ग्राम..पोस्ट..पंचायत...
प्रखंड....................................जिला....................................का निवासी हूँ।
मैंने हल्दी/अदरख/ओल का क्षेत्र विस्तार के लिए कृषक श्री...
..........पिता/पति..ग्राम....................................पोस्ट.......................
पंचायत...प्रखंड...जिला....................से खाता संख्या...........................खेसरा संख्या........................रकवा................... जमीन बटाई/पट्टा पर प्राप्त किया है।

2. बटाई/पट्टा पर ली गई उपर्युक्त जमीन पर मेरे द्वारा हल्दी/अदरख/ओल का क्षेत्र विस्तार की जायेगी।

3. उपर्युक्त सूचना सही है एवं किसी प्रकार का विवाद होने पर उसकी सारी जवाबदेही मेरी होगी तथा मेरे विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

कृषक का पूर्ण हस्ताक्षर

खेत के बगल के दो किसानों का नाम, हस्ताक्षर एवं मोबाईल नं०

	गवाह का नाम एवं पता	हस्ताक्षर	मोबाईल नं०
1	....	....	....
	....		
	....		
2	....	....	....
	....		
	....		

सत्यापनकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

(पदनामः– कृषि समन्वयक/प्रखंड उद्यान पदाधिकारी/प्रखंड कृषि पदाधिकारी)